कौशल एवं उद्यमिता विकास और महिला सशक्तिकरण

सुनील कुमार*, डॉ.(श्रीमति) संगीता गुप्ता**

सारांश

किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए महिला सशक्तिकरण बहुत आवश्यक है। महिलाओं के संदर्भ में उद्यमिता का अर्थ केवल महिलाओं को रोजगार प्रदान करना नहीं है बल्कि उनके द्वारा किए गए कार्यों से उनके आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन को और अधिक बेहतर बनाने से है। महिला उद्यमिता से महिलाओं में रोजगार सृजन की प्रवृत्ति में वृद्धि तो होती है साथ ही उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है, जिससे उनका जीवन आत्मनिर्भर होने के साथ–साथ सुलभ भी हो जाता है। प्राचीन काल की अपेक्षा भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है किंतु आज भी महिलाएं आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हैं। इसलिए वर्तमान में भी महिला सशक्तिकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। महिला सशक्तिकरण महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में सफल और सशक्त बनाने के साथ–साथ महिलाओं को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग होने के लिए भी प्रेरित करता है। महिला उद्यमिता से महिलाएं अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में सुधार कर सकती हैं, साथ ही महिला सशक्तिकरण की दशा और दिशा दोनों में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में जहां कार्य शक्ति में भागीदारी की निम्न दर और लैंगिक असमानता जैसी समस्याएं आज भी उपस्थित हैं, यह एक बड़ी चिंता का विषय है। महिला उद्यमिता से देश में विद्यमान इन समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। इस शोध–पत्र के द्वारा महिला उद्यमिता का महिला सशक्तिकरण पर क्या प्रभाव होगा इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है तथा साथ ही महिला उद्यमिता से जुड़ी समस्याओं का उल्लेख और उनका समाधान भी प्रस्तुत किया गया है।

मुख्य शब्द– महिला उद्यमिता, महिला सशक्तिकरण, समावेशी विकास, सतत विकास, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, लैंगिक समानता।

प्रस्तावना

भारत एक विकासशील देश है। देश में भौतिक संसाधनों तथा मानव शक्ति का अपार भण्डार विद्यमान है। 2011 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार देश की जनसंख्या 121.08 करोड़ है। जिसमें पुरुष 51.47% तथा महिलायें 48.53% हैं। (जनसंख्या एवं नगरीकरण– एस0 के0 ओझा, जनगणना– 2011 अन्तिम आँकड़ें) किसी भी राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए उस राष्ट्र की मानव शक्ति तथा प्राकृतिक या भौतिक संसाधनों के मध्य उचित समन्वय स्थापित करना आवश्यक है, ताकि इनका समुचित उपयोग किया जा सके।

आज विश्व में चीन के बाद भारत का जनशक्ति में दूसरा स्थान है, किन्तु भारत के पास पर्याप्त मात्रा में भौतिक संसाधन तथा जनशक्ति या मानव शक्ति होने के पश्चात् भी देश की विकास दर चीन की अपेक्षा अत्यधिक धीमी गति से बढ़ रही है। देश की शिक्षा व्यवस्था तथा तकनीकी शिक्षा की अपर्याप्तता इसका प्रमुख कारण है। देश की शिक्षा रोजगारपरक् न होकर केवल सैद्धान्तिक तथा व्यक्ति को साक्षर करने मात्र के लिए है। अतः इससे व्यक्ति शिक्षित तो हो जाता है, किन्तु उसे रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है। भारत में संसाधनों का अभाव नहीं है, किन्तु देश में तकनीकी शिक्षा, कार्यकुशलता और उद्यमिता की अपर्याप्तता के कारण राष्ट्र आज भी बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, लैंगिक असमानता जैसी ज्वलन्त समस्याओं से जूझ रहा है। राष्ट्र में व्याप्त इन समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक है कि उद्यमिता– कौशल व प्रशिक्षण में वृद्वि की जाए, इस हेतु केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न उद्यमिता तथा कौशल विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

उद्यमिता का अर्थ –

उद्यमिता शब्द 'उद्यम' मूल शब्द का विशेषण रूप है। जिसका शाब्दिक अर्थ है– कार्य (श्रम) करना। इस प्रकार उद्यमिता का अर्थ कार्य अथवा श्रम करने का गुण है। वस्तुतः पूर्वकाल में श्रम को ही उद्यमिता का मूल गुण माना गया है तथा इसे समृद्धि और विकास का सूचक बताया गया है। उद्यमी का अंग्रेजी समानार्थी शब्द Enterpreneur है, जो एक फ्रेंच शब्द है, जिसका अर्थ है 'An Undertaker' अर्थात् 'आरम्भ करने वाला।' इस शब्द को फ्रेंच अर्थशास्त्री कैन्टीलन ने वर्ष 1775 ई0 में प्रयोग किया था। इनके अनुसार– ''उद्यमी वह है, जो निश्चित मूल्य पर उपलब्ध सेवायें इस उद्देश्य से खरीदता है कि उस उत्पाद को भविष्य में भी किसी मूल्य पर बेच सके।''

* असि.प्रो.अर्थशास्त्र, स्वामी विवेकानन्द रा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लोहाघाट, चम्पावत

** प्राचार्या, स्वामी विवेकानन्द रा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लोहाघाट, चम्पावत

ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में सन् 1933 ई0 के संस्करण में एन्टरप्रेन्योर शब्द का अर्थ उस व्यक्ति के रूप में दिया गया जो व्यवसाय चलाता है। उद्यमिता को सरल रूप में "कुछ नया करना या पहले से किये हुए कार्य को नयेपन से करना" द्वारा परिभाषित किया जा सकता है।

उद्यमिता की परिभाषायें –

उद्यमिता को एक सृजनात्मक तथा नयेपन की सोच रखने के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ऐसी सोच समाज के किसी भी क्षेत्र में जैसे व्यापार, कृषि, शिक्षा, सामाजिक कार्यों आदि में हो सकती है। इसको निम्न प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है–

"ग्रामीण इलाकों, पिछड़े तथा अविकसित क्षेत्रों में जहाँ अनुकूल औद्योगिक वातावरण न हो, ऐसे स्थानों पर किसी नये एवं अनुभवहीन व्यक्ति द्वारा उद्योग धन्धे स्थापित करने या किसी अन्य नवीन उद्योग व्यवसाय को प्रारम्भ करने का साहस व उपक्रम करने को उद्यमिता अथवा उद्यमशीलता कहते हैं।" (उद्यमिता विकास एवं प्रबन्धन)

"व्यक्तिगत उद्देश्यों अथवा पूर्व निर्धारित व्यापार को प्राप्त करने हेतु पूरे आत्मविश्वास के साथ एक सोची समझी जोखिम उठाने की प्रवृत्ति अथवा सोच को उद्यमिता कहते हैं। (डॉ0 डी0सी0 मैकलालैण्ड)

उद्यमिता अनेक गुणों, योग्यताओं और कौशल का सम्मिश्रण है। इसमें दूरदृष्टि, जोखिम उठाने की तत्परता, उत्पादन के घटकों जैसे– श्रम, पूंजी, भूमि आदि को संगठित एवं समन्वित करना, नये वैज्ञानिक एवं तकनीकी विचारों का सम्मिश्रण करना निहित है। यह आर्थिक विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है।

उपर्युक्त विवेचन से कहा जा सकता है, कि – "उद्यमिता कुछ नया करने, संगठित करने, समन्वित करने, जोखिम उठाने तथा आर्थिक अनिश्चिताओं को संभालने अथवा सामना करने की प्रक्रिया है।"

महिला उद्यमिता –

महिला उद्यमिता का अर्थ महिलाओं द्वारा किये जाने वाले कार्यों में सृजनात्मकता तथा नयेपन से लिया जा सकता है। ऐसी महिलायें जो अपने स्वयं के स्वामित्व में कोई नया कार्य प्रारम्भ करें, उसे महिला उद्यमिता कहा जाता है।

साहित्य पुनरावलोकन–

साहित्य पुनरावलोकन शोध कार्य की महत्वपूर्ण कड़ी है। यह अनुसन्धान की समस्या से सम्बन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं, प्रकाशित–अप्रकाशित शोध–प्रबन्धों एवं अभिलेखों आदि की ओर संकेत करती है, जिनके अध्ययन से शोधकर्त्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निर्माण, अध्ययन की रुपरेखा तैयार करने एवं कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है। इससे शोधकर्त्ता को यह भी ज्ञात होता है, कि इस समस्या से सम्बन्धित कार्य किन–किन विद्वानों ने किन–किन उद्देश्यों को लेकर किया है, इससे शोधकर्त्ता को शोध विधि का भी ज्ञान प्राप्त होता है। सूक्ष्म, लघु और मझोला उद्यम मंत्रालय, महिला उद्यमियों को व्यापार संबंधित उद्यमिता सहायता एवं विकास योजना क्रियान्वित कर चुका है। इस योजना में महिला उद्यमियों के आर्थिक सशक्तिकरण के मद्देनजर उनके उत्पादों, कारोबार और सेवाओं इत्यादि के लिए प्रशिक्षण, जानकारी एवं सलाह प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत राष्ट्रीयकृत बैकों की ओर से उन्हें वित्तीय ऋण और सरकार की ओर से अनुदान राशि दी जाती है, जो अधिकतम 30 लाख रुपये है, और उसकी दर 30% है। यह ऋण महिला उद्यमियों को उनके क्षमता निर्माण और गैर – कृषि कार्यों में स्वतः रोजगार उपक्रमों के लिए दिया जाता है। इसके अलावा मंत्रालय महिला उद्यमियों के वेतन, रोजगार और आमदनी बढ़ाने की दिशा में उनके कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाता है।(कुरुक्षेत्र, अक्टूबर 2015)

आवश्यकता विकास की जननी है, इस कथन से स्पष्ट हो जाता है, कि जब तक किसी राष्ट्र या देश को किसी वस्तु या पदार्थ की आवश्यकता नहीं होगी, तब तक वह उस वस्तु या पदार्थ का उत्पादन नहीं करेगा। किसी भी राष्ट्र का विकास तभी सम्भव है, जब उस राष्ट्र में रहने वाले नागरिकों में समानता हो, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। भारत जैसे– देश में जहां स्त्री को देवी के रुप में पूजा जाता था, वहां पर महिला की स्थिति में अभी भी उतना सुधार नहीं हो पाया है, जितना होने की आवश्यकता है। इसी स्थिति को सुधारने तथा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने अनेक योजनाओं के माध्यम से ठोस कदम उठाये हैं। जिसमें से उज्जवला योजना का शुभारम्भ 4 दिसम्बर 2007 में किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं की खरीद – फरोख्त की रोकथाम तथा व्यावसायिक यौन शोषण की शिकार महिलाओं के उद्धार, पुनर्वास तथा उन्हें फिर से समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित व्यापक कार्य किये जा रहे हैं। (भारतीय अर्थव्यवस्था, अतिरिक्तांक प्रतियोगिता दर्पण –2015)

उद्यमिता के महत्व को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015 में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने 'स्टार्ट अप इण्डिया, स्टैण्ड

अप इण्डिया' का नारा दिया। अब नए उद्यमों यानी स्टार्ट अप के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। देश की 1.25 लाख से भी अधिक बैंक शाखाओं में से प्रत्येक को कम से कम एक दलित/आदिवासी उद्यमी और कम से कम एक महिला उद्यमी को स्टार्ट अप स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करना है। (योजना, अक्टूबर 2015)

ग्लोबल इन्टर प्रेन्योरशिप मॉनीटर रिपोर्ट–

उद्यमिता के क्षेत्र में 1999 से वैश्विक स्तर पर प्रारम्भ 'ग्लोबल इन्टर प्रेन्योरशिप मॉनीटर' (जी0ई0एम0) के 2014 में हुए 16 वें अध्ययन में 73 देशों की अर्थव्यवस्थाओं, विश्व की 72.4 प्रतिशत जनसंख्या एवं 90 प्रतिशत जी0डी0पी0 को शामिल किया गया। 2014 में हुए अध्ययन में पूरे विश्व से कुल 2,06,000 व्यक्तियों एवं 3,936 विशेषज्ञों की राय ली गई। यह उद्यमिता के प्रति व्यक्तियों की अभिव्यक्ति, उद्यम की स्थापना के विभिन्न चरणों में सक्रियता, आत्मविश्वास आदि का मापन करता है। यह अध्ययन विभिन्न देशों में उद्यमिता सक्रियता में अन्तर, इसका देश के आर्थिक विकास से सम्बन्ध किसी देश की जनसंख्या को उद्यमी बनाने सम्बन्धित गुणों को पता लगाने का प्रयास है। इसमें उद्यमिता सक्रियता, कौशल द्वारा उपलब्ध अवसरों की पहचान, उपयोग एवं सम्बन्धित वातावरणीय कारकों का परिणाम के रुप में परिभाषित है। भारत को कारक आधारित अर्थव्यवस्था माना गया है, जहां आर्थिक विकास मूलभूत आवश्यकताओं जैसे– संस्थाओं का विकास, स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, आर्थिक स्थायित्व आदि पर आधारित है। (योजना, अक्टूबर 2015)

शोध प्रविधि–

अध्ययन की सार्थकता बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि अध्ययन के दौरान वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाए। शोध कार्य प्रारम्भ करने से पहले शोध कार्य की निर्मित नियोजित रुपरेखा शोध प्रविधि कहलाती है। शोध प्रविधि का चयन शोध समस्या की प्रकृति एवं अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

पी वी यंग के अनुसार,"एक शोध प्रविधि अनुसन्धान का व्यवस्थित नियोजन तथा निर्देशन है।"

आई वी0 यंग के अनुसार,"यह एक सम्भावित स्थिति को नियन्त्रित करने की दिशा में जानबूझकर पूर्व योजना की प्रक्रिया है।

प्रस्तुत शोध लेख के अध्ययन के उद्देश्य के लिए समंक संग्रहण तकनीकी में प्राथमिक एवं द्वितीयक समंक उक्त दोनों प्रकार के समंकों का प्रयोग किया गया है।

1– प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए प्रत्यक्ष अवलोकन एवं आवश्यक प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है ।

2– विभिन्न प्रकार के द्वितीयक आंकड़ों– सरकारी दस्तावेज, समाचार पत्र–पत्रिकाएं, शोध लेख और इंटरनेट आदि का प्रयोग किया गया है।

शोध उद्देश्य–

प्रस्तुत शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं–

1– कौशल एवं उद्यमिता विकास का महिला सशक्तिकरण में योगदान का अध्ययन करना।

2– कौशल एवं उद्यमिता की अवधारणा का अध्ययन करना।

3– महिला उद्यमिता का देश की आर्थिक विकास में भूमिका का अध्ययन करना।

4–कौशल एवं महिला उद्यमिता के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का अध्ययन करना।

5– कौशल एवं उद्यमिता विकास का लैंगिक समानता स्थापित करने में भूमिका का अध्ययन करना।

महिलाएं और उद्यमिता विकास

देश के आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में महिलाओं की भूमिका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुप से हमेशा महत्वपूर्ण रही है। जब महिलाओं को अवसर प्राप्त नहीं होते थे, तो वह घर के समस्त कार्य, बच्चों का पालन पोषण आदि तक ही सीमित रहती थीं। लेकिन जैसे –जैसे देश में शिक्षा का विस्तार, कौशल विकास में और उद्यमिता विकास में वृद्धि होती जा रही है तो महिलाएं घर और बाहर दोनों के कार्यों को कुशलता से संभालने का सफल प्रयास कर रही हैं। किंतु यह भी सत्य है कि अधिकतर महिलाएं अकुशल हैं जिससे उद्यम के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छी नहीं है।

अतः कौशल विकास और महिला उद्यमिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यह महिलाओं की कार्य में भागीदारी तथा कार्यकुशलता और उत्पादन क्षमता में वृद्धि करेगा। आज के समय के अनुसार महिला उद्यमिता को बढ़ाने के लिए महिलाओं को निम्नलिखित कौशल ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जैसे–

- ★ नेतृत्व कौशल
- ★ निर्णय शक्ति कौशल
- ★ समय प्रबन्धन कौशल
- ★ रचनात्मकता कौशल
- ★ समस्या निवारण कौशल
- ★ व्यक्तित्व विकास कौशल
- ★ प्रबन्धन कौशल
- ★ आचार नीति तथा अखंडता कौशल
- ★ व्यावहारिकता कौशल
- ★ संचार कौशल
- ★ कम्प्यूटर कौशल
- ★ नेटवर्किंग कौशल

समस्याएं

उद्यमिता विकास द्वारा महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में अनेक प्रकार की समस्याएं दृष्टिगोचर होती हैं। जैसे –

- ★ सामाजिक समस्या
- ★ आर्थिक समस्या
- ★ राजनीतिक समस्या
- ★ प्रशिक्षण समस्या

हमारा भारतीय समाज आज भी पितृसत्तात्मक है। जिसमें पुरुषों को प्रथम स्थान प्रदान है अर्थात भारतीय समाज को पुरुष प्रधान समाज भी कहा जाता है। आज भी देश में लैंगिक असमानता जैसी समस्या विद्यमान है। महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कमतर आंका जाता है, जिससे महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकारों से वंचित रखा जाता है। हमारे देश में आज भी महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति पुरुषों की अपेक्षा बहुत निम्न है। आज भी लड़का –लड़की की शिक्षा अधिकारों को लेकर मुख्यरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर स्थिति बनी हुई है। ऐसे में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास का लक्ष्य बहुत ही असंभव तो नहीं किंतु कठिन अवश्य लगता है। महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा एक ही काम के लिए कम वेतन दिया जाता है जो आर्थिक असमानता को दर्शाता है। सरकार द्वारा प्रयास तो अवश्य किए जाते हैं किंतु अपने द्वारा प्रारंभ किए गए कौशल विकास और उद्यमिता कार्यक्रमों का मूल्यांकन अप्रभावी रहा है। महिलाएं सरकार द्वारा चलाई गई कौशल विकास और उद्यमिता विकास के कार्यक्रमों से कितना लाभान्वित हो पाई हैं, कितना सशक्त हो पाई हैं– यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। देश की महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं उनका प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं से अधिक है। उन्हें प्रशिक्षण देकर किसी उद्यम को प्रारंभ करना सरल नहीं है, क्योंकि अशिक्षा, गरीबी तथा सामाजिक परंपराएं आदि इस लक्ष्य को पूरा करने में बाधा पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं है कि देश में कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकारी या गैर सरकारी प्रयास नहीं हो रहे हैं किंतु सफलता दर अभी भी बहुत संतोषजनक नहीं है। कौशल विकास की लागत और उद्यम के लिए ऋण मुहैया कराने की प्रक्रिया लक्ष्य प्राप्त करने में बाधा पहुंचाती है। तकनीकी ज्ञान का अभाव लक्ष्य प्राप्त करने में समस्या उत्पन्न करता है। हमारे देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण केन्द्रों की कमी तथा सामाजिक परंपराओं को परिवर्तित करने के उदाहरण कम पाए जाते हैं, जिससे महिला उद्यमिता का स्तर बहुत कम है।

महिला सशक्तिकरण के लिए सुझाव

- ★ बेहतर शिक्षा सुविधाएं
- ★ बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं
- ★ महिला व्यावसायिक तथा तकनीकि शिक्षा को प्रोत्साहन
- ★ लैंगिक संवेदनशीलता
- ★ प्रशिक्षण केन्द्रों का विस्तार
- ★ वित्त प्रबन्धन

- ★ महिला उद्यमिता का विकास
- ★ डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार
- ★ रोजगार के अवसरों में वृद्धि
- ★ स्वरोजगार को प्रोत्साहन

इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक सशक्त महिला वही है– जो आर्थिक रूप से समृद्ध हो। कोई भी महिला आर्थिक रूप से तभी समृद्ध होगी जब वह शिक्षित और प्रशिक्षित होगी, जिससे वह अपने किसी उद्यम या रोजगार को कर सकेगी। इसके लिए ग्रामीण तथा शहरी स्कूलों के पाठ्यक्रमों में प्रारंभ से ही कौशल ज्ञान को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। शिक्षा पद्धति इस प्रकार की हो जो रोजगार दिला सके तथा छोटे बालक–बालिकाओं में कौशल निर्माण कर सके। यही बालिकाएं हैं जो भविष्य में सशक्त बन सकेंगी, ना केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी।

सरकार द्वारा किए गए प्रयास और योजनाएं एवं महिला सशक्तिकरण

सरकार द्वारा महिलाओं में कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं जिससे महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिल रहा है। यह योजनाएं निम्नलिखित हैं–

- ★ स्टेप (सपोर्ट टू ट्रेनिंग एण्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम) – 1986–87
- ★ प्रियदर्शनी योजना – 1989
- ★ स्वाधार ग्रह (पुनर्वास के लिए कौशल विकास) –2001–0 2
- ★ सबला योजना – 2010
- ★ राष्ट्रीय ग्रमीण आजीविका मिशन – जून 2011
- ★ कौशल उन्नयन – 2015
- ★ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना – जुलाई 2015
- ★ कौशल भारत – 2015
- ★ सीखो और कमाओ – 2013–14
- ★ दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना – 2018
- ★ राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
- ★ राष्ट्रीय कौशल विकास एजेन्सी
- ★ मंत्री कौशल विकास योजना
- ★ उड़ान कार्यक्रम
- ★ गरीब नवाज कौशल
- ★ युवा कौशल विकास कार्यक्रम
- ★ सोना युक्ति कौशल विकास तथा प्रशिक्षण केन्द्र
- ★ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
- ★ स्वयं सिद्धा योजना – 2002–03
- ★ मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना – 2019

अतः सरकार बड़े स्तर पर कौशल विकास और महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन दे रही है। सरकार हरसंभव प्रयत्न कर रही है कि महिलाएं अधिक से अधिक इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। सरकार द्वारा बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जैसे 'मेक इन इंडिया'' स्टैंड अप इंडिया' 'स्टार्टअप इंडिया'। जिन का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन करके कौशल विकास करना है ताकि महिला सशक्त हो सके और देश के आर्थिक विकास में अपनी भागीदारी निभा सके।

सरकारी प्रयासों तथा कार्यक्रम जैसे 'मेक इन इंडिया' आदि में महिला उद्यमिता की भागीदारी बहुत संतोषजनक रही है।

निष्कर्ष

इसमें कोई दोराय नहीं है कि वर्तमान में' 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' स्कीम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। किंतु यह भी आवश्यक है कि बेटी को बचाने तथा पढ़ाने के साथ–साथ उसे रोजगार भी दिलाना है। तभी तो महिला सशक्तिकरण संभव होगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य 'वित्त समावेश' है लेकिन यह उद्देश्य तभी पूर्ण हो सकता है जब महिला कौशल विकास और उद्यमिता में वृद्धि होगी। यदि अंतर्राष्टीय स्तर पर तुलना करें तो भारतीय महिलाओं की भागीदारी और कौशल निर्माण

एवं विकास बहुत संतोषजनक नहीं है। लेकिन कौशल विकास और उद्यमिता विकास कार्यक्रम, सरकार तथा निजी क्षेत्र की कौशल निर्माण में भागीदारी, अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम, वित्तीय समावेश आदि महिला सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक योगदान देंगे।

कौशल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत 35 लाख महिलाओं को कौशल प्रदान किया गया, जो वर्तमान में नए भारत के निर्माण में सकारात्मक योगदान दे रही हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1. डॉ. आर. एल. नौलखा, ''उद्यमिता के आधारभूत तत्व'' आर. बी. डी. पब्लिशिंग हाउस जयपुर
2. डॉ. पी.सी. जैन और डॉ. एन.एल शर्मा, ''उद्यमिता के मूल आधार'' रमेश बुक डिपो जयपुर नई दिल्ली
3. डॉ. प्रवीण अग्रवाल तथा डॉ. अवनीश कुमार मिश्रा, ''उद्यमिता के मूल आधार'' साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा
4. वीरेन्द्र प्रकाश शर्मा, ''रिसर्च मेथाडोलॉजी'' पंचशील प्रकाशन जयपुर
5. Kumar, Arya, "Entrepreneurship: creating and leading and Entrepreneurial Organization", Pearson Education India 2015.
6. Mazumdar, Manshi, 'Empowerment of Rural Woman though Entrepreneurship an overview", Scholar publication, Karimganj, Assam, Feb-2015.

Report/ Government Publications

1. Annual Report- 2015 "Micro, Small & Medium Enterprises"
2. Annual Report -2015 "Women Entrepreneurship and Skill Development in India"
3. Report of Government "census 2011.U.K."
4. Kishor, Sunita & Gupta, Kamla (Aug 2009): "Gender Equality and Women" 2006 & 07

Patrikas/ Newspapers

1. योजना
2. कुरूक्षेत्र